कार्यालय
वनमण्डल सीहोर

सीहोर-इछावर मार्ग, सीहोर (म.प्र.)466001 Mob-9424790850 E-mail :- dfot.seh@mp.gov.in

क्रमांक/मानचित्रकार/2023/ 2946 सीहोर दिनांक 11/12/2023

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग बुधनी, जिला सीहोर।

विषयः- सीहोर जिले में ग्राम सनकोटा से सिराड़ी मार्ग निर्माण हेतु 4.580 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग बुधनी को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः-1. अ.प्र.मु.व.सं.(भू-प्रबंध)सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रं/एफ-5/1194/2022/10-11/4984 दि.08.11.2023

2. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रं/6-MPB 049/2022-BHO दि. 02.11.2023

--00--

विषयांकित संदर्भ में लेख है कि आपके द्वारा वनमण्डल सीहोर, परिक्षेत्र लाड़कुई के अंतर्गत ग्राम सनकोटा से सिराड़ी मार्ग निर्माण हेतु 4.580 हेक्टेयर वनभूमि पर वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत निर्माण की अनुमति के संबंध मे भारत सरकार एवं पर्यावरण मंत्रालय भोपाल के संदर्भित पत्र-2 से सशर्त प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई जिसके तारतम्य मे निम्नलिखित बिन्दुओं की पूर्ति आपके कार्यालय के द्वारा किया जाना हैः-

1. भारत सरकार के संदर्भित पत्र-2 के बिन्दु क्रमांक-**A(4)** के अनुसार 4.580 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग पर देने हेतु **(NPV)** की राशि जमा करने के संबंध मे भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रं/5-3/2011-FC(Vol-I) दि. 06.01.2022 वनो से प्रकार व घनत्व की आधार पर अनुसार व्यपवर्तित होने वाली वनभूमि का वर्तमान कुल मूल्य **(NPV)** की राशि का निर्धारण किया गया है विषयांकित परियोजना से संबंधित परिक्षेत्र लाड़कुई के कक्ष क्रमांक **RF370, RF387, RF386, RF388, RF410, RF411** रकबा 4.580 हेक्टेयर में वनो की इको वेल्यू ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन तथा वनो का घनत्व 0.5 है, अतः **NPV** की राशि 12,28,590/- प्रति हेक्टेयर की दर से 4.580 हेक्टेयर की **राशि 56,26,943/- शब्दों मे (छप्पन लाख छब्बीस हजार नौ सौ तीरतालीस रूपये मात्र)** देय होगी।
2. बिंदु क्रमांक A(1) अनुसार ग्राम पचौर तहसील नसरूल्लागंज के खसरा क्रमांक-7 की हस्तांतरित कुल 13.300 हेक्टेयर प्राप्त गैर-वनभूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल राशि 70,16,000/- शब्दों में(सत्तर लाख सोलह हजार रूपये) राशि जमा करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मानचित्रकार/2023/9080 दि. 15.09.2023 से लेख किया गया है।
3. NPV तथा वृक्षारोपण की राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है।

क्रं	मद	रकबा (हेक्टे.)	घनत्व	ईको क्लास श्रेणी	राशि	रिमार्क (यदि कोई हो तो)
1	नेट प्रजेण्ट वैल्यू	4.580	0.5	ईको क्लास- 3	**56,26,943/-**	**12,28,590/-** प्रति हेक्टे.
2	वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि	13.300	-	-	70,16,000/-	प्रस्ताव ग्राम नयापुरा से सनकोटा (4.200 हेक्टे.) तथा ग्राम सनकोटा से सिराड़ी (4.600 हेक्टे) एवं ग्राम खेरी से डोंगलापानी व्हाया डूण्डलावा (4.410 हेक्टे) कुल रकबा 13.300 हेक्टेयर प्रभावित वनभूमि के बदले 13.300 हेक्टे गैर-वनभूमि हस्तांतरित की गई। अतः 70,16,000/- राशि उक्त तीनो प्रकरणो की एकजाई राशि जमा करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मानचित्रकार/2023/9080 दि. 15.09.2023 से लेख किया गया है।
	महायोग				1,26,42,943/-	

NPV की राशि **56,26,943/- का भुगतान वेबसाइट (www.parivesh.nic.in)** पर जाकर केम्पा मद में जमा कराना सुनिश्चित कर चालान की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराये।

4. बिंदु क्रमांक B(3) के अनुसार "Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert committee, shall be charged by the state Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect." अतः उक्त के संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत करें।
5. बिन्दु क्रमांक- A(6) के पालन मे वन अधिकार अधिनियम के तहत् कलेक्टर सीहोर का प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
6. बिन्दु क्रमांक- B(4) के पालन मे **सागौन-225 वृक्ष एवं अन्य 65 वृक्ष कुल 290 वृक्षो के विदोहन व्यय की कुल राशि 4,10,085/-शब्दों मे (चार लाख दस हजार पीच्यासी रूपये मात्र) देय होगी। उक्त राशि** का ऑनलाईन www.mptreasury.org की वेबसाईट के माध्यम से जमा कर चालान की प्रति इस कार्यालय मे जमा करावें।
7. बिन्दु क्रमांक- A(8) के अनुसार आवेदक विभाग द्वारा सड़क के किनारे-किनारे वृक्षारोपण किये जाने हेतु योजना बनाई जायेगी एवं वृक्षारोपण योजना की राशि आवेदक विभाग द्वारा प्रदाय की जावेगी। जिसका प्रबंधन वन विभाग द्वारा किया जावेगा।
8. बिन्दु क्रमांक- A(9) के अनुसार आवेदक विभाग द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत करे कि वनक्षेत्र में किसी प्रकार की गंदगी का निपटान नहीं किया जावेगा।
9. बिन्दु क्रमांक- A(12) के पालन मे भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम चरण स्वीकृति मे अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड करावे तथा 02 प्रति मे इस कार्यालय को उपलब्ध करावे।

प्रकरण मे भारत सरकार के संदर्भित पत्र-2 से उपरोक्त प्रकरण मे प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। अतः संदर्भित पत्र द्वारा अधिरोपित शर्तो की पूर्ति उपरांत ही प्रस्ताव मे औपचारिक स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी, औपचारिक स्वीकृति जारी होने के पश्चात ही कार्य करने की अनुमति प्राप्त होगी।

संलग्नः- संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

एम.एस.डावर भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल सीहोर

पृ.क्रमांक/मानचित्रकार/2023/ 2947 **सीहोर, दिनांक** 14/12/2023

प्रतिलिपिः-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र., वन भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वनसंरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपवनमण्डलाधिकारी बुधनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी लाड़कुई की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रकरण मे लेख है की भारत सरकार एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा प्रस्ताव में सशर्त प्रथम चरण सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। अतः आवेदक विभाग को औपचारिक स्वीकृति के पूर्व वनक्षेत्र में कार्य न करने दिया जावे।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल सीहोर